राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

पुरुषुरुतमो गाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-26/2000/एमएड/ 17041-47

दिनांक : 22.09.2000

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज, काला कंकर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश ने संस्था में कार्यरत एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक 4.9.97 को आवेदन किया था जो समिति कार्यालय में दिनांक 12.9.97 को प्राप्त हुआ।

संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन-पत्र को उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 8-9 मई, 2000 को सम्पन्न हुई 25 वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। समिति ने संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर पाया कि संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित कमियाँ हैं।

क्रमं.	संस्था में पाई गई कमियाँ
1	संस्था को बीएड और एमएड के लिए कुल 13 रीडर/व्याख्याताओं की आवश्यकता है। जबकि संस्था के पास 3 रीडर और 5 व्याख्याता कुल 8 अध्यापक कार्यरत हैं। केवल बीएड, केवल एमएड तथा बीएड व एमएड को पढ़ाने वाले रीडर/प्राध्यापकों की सूची मय योग्यता, उनके स्नातकोत्तर उपाधि के विषय एवं प्राप्तांक, नेट या समकक्ष उपाधि, पीएचडी/एमफिल की डिग्री प्राप्त करने का वर्ष, उनके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषयों आदि का विवरण नहीं भेजा है। इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि एमएड के लिए परिषद् मानदंडों के पैरा 2.1 के अनुसार एमएड की न्यूनतम 25 सीटों तक निर्धारित योग्यता एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/यूजीसी द्वारा निर्धारित वेतन श्रृंखला में विधिवत गठित चयन समिति द्वारा चयनित नियमित एवं पूर्णकालिक 1 प्रोफेसर, 2 रीडर व 2 प्राध्यापक संस्था में हैं या नहीं। चूंकि बीएड व एमएड की सूची मय समस्त सूचनाओं के अलग से प्रेषित नहीं की है। अतः एमएड हेतु उक्त टीचिंग स्टाफ की कमी है। अतः परिषद् मानदंडों के पैरा 2.1 के अनुसार दो रीडर और दो व्याख्याताओं की कमी है।
2	परिषद् मानदंडों के पैरा 3.1 के अनुसार एमएड पाठ्यक्रम हेतु कक्षा-कक्ष व अलग से दो फैकल्टी कक्ष नहीं है।
3	परिषद् मानदंडों के पैरा 3.5.2 के अनुसार कम्प्यूटरमय प्रिंट सामग्री व ऑडियो-विडियो कैसेट लाइब्रेरी में नहीं हैं।
4	परिषद् मानदंडों के पैरा 3.5.1 के अनुसार पुस्तकालय में एमएड स्तर की पुस्तकों व जरनल की कमी है।

अतः संस्था को उपरोक्त कमियों के संदर्भ में लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए परिषद् अधिनियम की धारा 14 (3)(बी) के तहत नोटिस प्रेषित कर दिया जाए। समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-26/एमएड/2000/1389-1390 दिनांक 16.5.2000 प्रेषित किया गया था जिसमें उपरोक्त कमियों को मुद्रित किया गया था तथा सत्र 2000-2001 में उत्तर क्षेत्रीय समिति के द्वारा मान्यता मिलने तक एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश न करने के लिए भी लिखा था।

संस्था से समिति कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.5.2000 का उत्तर संस्था ने पत्र दिनांक 6.6.2000 के द्वारा प्राप्त हुआ। संस्था द्वारा प्रेषित उत्तर, आवेदन-पत्र संलग्न दस्तावेजों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 8-9 मई, 2000 को सम्पन्न हुई 27 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे। समिति ने प्रकरण पर विचार कर पाया कि संस्था में परिषद् मानदंडों के अनुसार एमएड पाठ्यक्रम के लिए अध्यापक नहीं हैं। अतः संस्था को अध्यापक नियुक्त करने के लिए पत्र लिखे दिया जाए तथा जब तक सीटें अनुमोदित न की जाए। समिति के निर्णयानुसार संस्था को क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-26/एमएड/2000/5912-15 दिनांक 1.8.2000 प्रेषित किया गया था। संस्था ने उपरोक्त संदर्भित पत्र का कोई भी उत्तर प्रेषित नहीं किया। अतः संस्था की मूल पत्रावली, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 18 सितम्बर, 2000 को सम्पन्न हुई 29 वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। समिति ने

कार्यालय : ए-46, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर - 302 004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

\\Subhash\e\others\[illegible] फैक्स : 91-141-620118